मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 147 /99/10-3 भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2000

प्रति

1. समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश.
2. समस्त वन मंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश.

विषय :- वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण ।

----//00//----

वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की दृष्टि से निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु राजस्व/खनिज साधन/वन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से निर्देश दिए जाते हैं कि :-

1/ प्रत्येक जिलाध्यक्ष द्वारा खदान की स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी से खदान क्षेत्र के मौका निरीक्षण के आधार पर जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

2 वनमंडलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात कि प्रस्तावित खदान [redacted] नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

...दान स्वीकृत होने पर मौके पर जिला खनिज अधिकारी व संबंधी क्षेत्रीय उप ...मंडलाधिकारी खदान क्षेत्र का सीमांकन करेंगे । खदान सीमा पर खदान ठेकेदार के ...से सीमेन्ट के मुनारे बनाकर उन पर क्रम वार नंबर डाले जाएंगे । मुनारे के ...ने पर पुनः खनिज अधिकारी व क्षेत्रीय उप वनमंडलाधिकारी द्वारा निरिक्षण किये जाने ...र मुनारे सही पाये जाने के पश्चात ही खदान ठेकेदार को उत्खनन हेतु क्षेत्र का ...जा दिया जाएगा ।

उपरोक्त कंडिका (3) में वर्णित प्रक्रिया पूर्व में स्वीकृत खदानों के लिए भी लागू जाय ।

प्रत्येक माह खनिज अधिकारी अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी एवं वन ...ाधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी संयुक्त रूप से खदान क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रमाण

पिछला	अगला

(16)

पत्र देगे कि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है। यदि खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया जाना पाया जाये तो खदान निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

5/ खदान की लीज में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व खनिज ठेकेदार का होगा । यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना ठेकेदार द्वारा खनिज अधिकारी व वनमंडलाधिकारी को तत्काल लिखित में दी जावेगी।

(शेखर दत्त)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग

(एस.लक्ष्मीनारायण)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

(माला श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/ 148 /99/10/3 भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2000

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल.

2- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग..

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(जी.ए.किन्हाल) 12/1
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म0प्र0
भोपाल

पृ0क्र0/107 भोपाल, दिनांक 17.1.2000

प्रतिलिपि: समस्त वन संरक्षक, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17.1.2000
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल